भारत सरकार

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

औषध विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1810

दिनांक 06 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

नीतिगत मानकों का अनुपालन नहीं करने वाली फार्मा कंपनियों के विरुद्ध उठाए गए कदम

1810. सरदार सुखदेव सिंह ढिंडसा:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसे मामलों को छानबीन के अंतर्गत लाने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिनमें फार्मा कंपनियां मूल्य निर्धारण के मानकों का पालन नहीं कर रही हैं, और उत्पादन और मूल्य निर्धारण से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करने से मना कर रही हैं और कारण बताओ नोटिस का उत्तर नहीं दे रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को अंतिम रूप कब तक दिए जाने की संभावना है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा)

(क) और (ख): जी, नहीं। सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) और प्राधिकरण के आंतरिक दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) नियमित आधार पर ऐसे मामलों को डील करता है। यदि कोई कंपनी डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, तो कंपनी के खिलाफ अधिप्रभार लेने के लिए कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त, सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के अंतर्गत कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है।

*****